राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश खैरवा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 200/2022

रजत बनाम नीरज वगै0

1. रजत पुत्र श्री प्रेमप्रकाश जाति जाट निवासी 3/117 हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुंनू।

---- वादी

बनाम

1. नीरज पुत्र श्री प्रेम प्रकाश जाति जाट निवासी ए–181 II फैज रीको आवासीय कॉलोनी तहसील व जिला झुन्झुनू
2. प्रेम प्रकाश पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी ए–181 II फैज रीको आवासीय कॉलोनी तहसील व जिला झुन्झुनू
3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू

--- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 25.11.2022

प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि राजस्व ग्राम आबूसर पटवार हल्का आबूसर की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 22 रकबा 3.50 है0, खसरा नं. 223 रकबा 2.97 है0 तथा खसरा नं. 97 (305) रकबा 0.06 किता 3 का कुल रकबा 6.53 है0 स्थित है जिसे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा स्व0 बीरबल सिंह के कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो विरासत से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है। अतः भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की स्व अर्जित सम्पत्ति न होकर विरासतन पैतृक भूमि है जिसमें पिता के जीवन काल में प्रत्येक पुत्र पुत्री का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार उपरोक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा है।

वादी को अपने 1/3 हिस्से की भूमि बाबत समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं जिससे वादी को कानूनन किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 की उम्र 59 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है और प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को अपने प्रभाव में ले रखा है जो आपस में षड़यन्त्र रचकर वादी को उसके हक अधिकारों की पैतृक सम्पत्ति से वंचित करना चाहते हैं व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

संख्या 1 ने धमकी दी की वह उक्त सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम स्थानांतरण करवा लेगा। अतः वादी ने वादपत्र में निवेदन किया है कि उसके हिस्से की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर उसके 1/3 हिस्से का अलग से सीमांकन किया जाये व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आबूसर पटवार हल्का आबूसर की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 22 रकबा 3.50 है0, खसरा नं. 223 रकबा 2.97 है0 तथा खसरा नं. 97 (305) रकबा 0.06 किता 3 का कुल रकबा 6.53 है0 भूमि पर वादी का उसके हक हकूक के अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दिनांक 25.11.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार को निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। ततपश्चात् तहसीलदार ने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3549 दिनांक 24.11.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये।

प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। सभी पक्षकारान द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पेश किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। बाद अवलोकनार्थ वाद वादी अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: निर्णय :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

प्रकरण संख्या 214/2022 की आदेशिका दिनांक 8/12/22 की पालना में खसरा नं. 97 के स्थान पर 305 दुरूस्त किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दतायी

(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— **श्री शैलेश खैरवा आर.ए.एस.**

मुकदमा संख्या— 200/2022

उनवान

रजत बनाम नीरज वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 25.11.2022

वादी की ओर से वादी स्वयं तथा प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से प्रतिवादी स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.11.2022 को शैलेश खैरवा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर अन्तिम डिक्री की जाती है कि वाद वादी अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आबूसर पटवार हल्का आबूसर की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 22 रकबा 3.50 है0, खसरा नं. 223 रकबा 2.97 है0 तथा खसरा नं. 97 (305) रकबा 0.06 किता 3 का कुल रकबा 6.53 है0 में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3549 दिनांक 24.11.2022 के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	5 47	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	46
योग	52	योग	46

प्रकरण सं. 214/2022 की आदेशिका दिनांक 8/12/2022 की पालना में खसरा नं. 97 के स्थान पर 305 दुरूस्त किया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू